

राजस्थान -सरकार


निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/ए-664/18/ दिनांक:-

आदेश

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ, अजमेर के अधीन कार्यरत निम्न नर्स-2 परिवीक्षाधीन का आवश्यक कार्य के कारण वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुखानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र०स०	नाम नर्स-2	अवकाश अवधि
1	श्री दिनेश मीणा	दिनांक 17.02.16 से दिनांक 10.03.16 तक - 23 दिवस
2	श्री रामनरेश जाट	दिनांक 23.08.16 से दिनांक 14.09.16 तक - 23 दिवस

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक परीविक्षा काल में अभिवृद्धि की जावेगी।



(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/ए-664/18/1357

दिनांक:- 08-10-18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ, अजमेर।
2. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली ।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।